कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा म0प्र0 में वार्षिक नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.2016 (शनिवार) को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, इस वार्षिक नेशनल लोक अदालत में म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र0– एफ 6–22/2012/ 18–3 भोपाल दिनांक 28.10.2016 में निहित निर्देशानुसार म0प्र0 नगर पालिक निगम के संपत्तिकर/जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन छूट प्रदान की जाकर संपत्तिकर/जलकर के प्रकरणों का निराकरण कराया जाना है। इस वार्षिक नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर/जलकर अधिभार में निम्न शर्तो के अधीन छूट प्रदान की जायेगीः–

(1) संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/–(रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।

(2) जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/–(रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट।

(3) संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) से अधिक तथा 1,00,000/– (रू. एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।

(4) जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/–(रूपये दस हजार) से अधिक तथा 50,000 (हजार रूपये) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।

(5) संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।

(6) जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।

(7) यह छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी।